रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 2010/पौष 28, 1931
No. 26] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 2010/PAUSA 28, 1931

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2010

सं. एल-1/12/2010-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 की उप-धारा (1) और धारा 178 की उप-धारा (2) के खंड (म) के साथ पठित धारा 66 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थकारी बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरणीय और विक्रय योग्य क्रेडिट प्रमाणपत्रों को जारी करके गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के बाजार के विकास के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार :**

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय विद्युत प्रमाणपत्र की मान्यता और उन्हें जारी करने के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2010 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

(3) ये विनियम जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू होंगे ।

2. **परिभाषाएं और निर्वचन :**

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'अधिनियम' से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) 'केन्द्रीय अभिकरण' से ऐसा अभिकरण अभिप्रेत है, जिसे आयोग द्वारा विनियम 3 के खण्ड (1) के अधीन अभिहित किया जाए;

(ग) 'प्रमाणपत्र' से केन्द्रीय अभिकरण द्वारा, उसके द्वारा अधिकथित प्रक्रियाओं के अनुसार और इन विनियमों में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अधीन जारी नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(घ) 'आयोग' से अधिनियम की धारा 76 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(ङ) 'पात्र अस्तित्व' से इन विनियमों के अधीन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पात्र अस्तित्व अभिप्रेत है;

(च) 'निम्नतम कीमत' से आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार यथा अवधारित ऐसी न्यूनतम कीमत अभिप्रेत है, जिसे कीमत पर और जिससे अधिक कीमत पर विद्युत एक्सचेंज में प्रमाणपत्र में व्यौहार किया जा सकता है;

(छ) 'प्रविरत कीमत' से आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार यथा अवधारित ऐसी अधिकतम कीमत अभिप्रेत है, केवल जिसके भीतर ही विद्युत एक्सचेंज में प्रमाणपत्रों में व्यौहार किया जा सकता है;

(ज) 'एमएनआरई' से नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अभिप्रेत है;

(झ) 'आबद्ध अस्तित्व' से ऐसा अस्तित्व अभिप्रेत है, जिसे अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के

खण्ड (ङ) के अधीन नवीकरणीय क्रय बाध्यता को पूरा करने की आज्ञा दी गई है;

(ञ) 'विद्युत एक्सचेंज' से ऐसा विद्युत एक्सचेंज अभिप्रेत है, जो आयोग के अनुमोदन से प्रचालन करता है;

(ट) 'अधिमानी टैरिफ' से समुचित आयोग द्वारा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हुए किसी उत्पादन केन्द्र से किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ऊर्जा के विक्रय के लिए नियत टैरिफ अभिप्रेत है;

(ठ) 'नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों' से लघु जल, पवन, सौर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अभिप्रेत हैं, जिनके अन्तर्गत उनका संयुक्त चक्र, जैव प्रव्यमान, सह-उत्पादन, शहरी या नगरीय अपशिष्ट और ऐसे अन्य स्रोत भी हैं, जो एमएनआरई से मान्यताप्राप्त या अनुमोदित हैं;

(ड) 'नवीकरणीय क्रय बाध्यता' से राज्य आयोगों द्वारा अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन आबद्ध अस्तित्व के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत क्रय करने की विनिर्दिष्ट अपेक्षा अभिप्रेत है;

(ढ) 'राज्य अभिकरण' से संबद्ध राज्य में ऐसा अभिकरण अभिप्रेत है जिसे राज्य आयोग द्वारा नवीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के प्रत्यायन और रजिस्ट्रीकरण के लिए सिफारिश करने हेतु अभिकरण के रूप में कार्य करने और अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कृत्य करने के लिए अभिहित किया गया है;

(ण) 'राज्य आयोग' से अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (64) में निर्दिष्ट राज्य आयोग अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अधिनियम की धारा 83 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट संयुक्त आयोग भी है;

(त) 'वर्ष' से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों का, जो परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम या आयोग द्वारा जारी अन्य विनियमों में परिभाषित हैं, क्रमश: वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या आयोग द्वारा जारी ऐसे अन्य विनियमों में है ।

3. केन्द्रीय अभिकरण और उसके कृत्य :

(1) आयोग अपना यह समाधान हो जाने पर एक अभिकरण अभिहित करेगा कि उक्त अभिकरण के पास इन विनियमों के अधीन यथा उपबंधित अपने कृत्यों के निर्वहन का अपेक्षित सामर्थ्य है ।

(2) केन्द्रीय अभिकरण के कृत्य में निम्नलिखित कार्य करना होगा :

(i) पात्र अस्तित्वों का रजिस्ट्रीकरण,

(ii) प्रमाणपत्रों को जारी करना,

(iii) प्रमाणपत्रों के संबंध में लेखाओं को रखना और उनका समाधान करना,

(iv) प्रमाणपत्रों में संव्यवहारों का निदान,

(v) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र तंत्र के कार्यान्वयन से आनुषंगिक ऐसे अन्य कृत्य, जो आयोग द्वारा समय-समय पर समनुदेशित किए जाएं ।

(3) केन्द्रीय अभिकरण, इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग के अनुमोदन से और राज्य अभिकरण से टिप्पणियां आमंत्रित करने के पश्चात् पात्र अस्तित्वों के रजिस्ट्रीकरण, विद्युत उत्पादन के सत्यापन और पात्र अस्तित्व द्वारा ग्रिड में उसे सम्मिलित करने, प्रमाणपत्रों को जारी करने की और अन्य सुसंगत तथा शेष बचे विषयों की ब्यौरेवार प्रक्रिया जारी करेगा :

परन्तु यह कि केन्द्रीय अभिकरण, इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर ब्यौरेवार प्रक्रिया तैयार करेगा और अनुमोदन के लिए आयोग को प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यह कि केन्द्रीय अभिकरण ब्यौरेवार प्रक्रिया तैयार करते समय राज्य अभिकरण और अन्य पणधारियों को टिप्पणियों के लिए तीन सप्ताह का समय देगा :

परन्तु यह भी कि आयोग किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन या अभ्यावेदन पर केन्द्रीय अभिकरण को ब्यौरेवार प्रक्रिया के किन्हीं भी ऐसे उपबंध को, जिन्हें उपयुक्त समझा जाए, उपांतरित करने और उपबंधों को जोड़ने या उन्हें हटाने का निदेश दे सकेगा और आयोग द्वारा ऐसे निदेश दिए जाने पर ब्यौरेवार प्रक्रिया को ऐसे उपांतरणों के साथ कार्यान्वित किया जाएगा ।

4. प्रमाण पत्रों का प्रवर्ग :

(1) प्रमाणपत्रों के दो प्रवर्ग होंगे, अर्थात् नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा के आधार पर विद्युत के उत्पादन के लिए पात्र अस्तित्वों को जारी सौर प्रमाणपत्र और सौर ऊर्जा से भिन्न किन्हीं अन्य नवीकरणी ऊर्जा स्रोतों के आधार पर विद्युत के उत्पादन के लिए पात्र अस्तित्वों को जारी गैर-सौर प्रमाणपत्र ।

(2) सौर प्रमाण-पत्र आबद्ध अस्तित्वों को विक्रय किए जाएंगे, जिससे कि उन्हें सौर ऊर्जा के लिए उनकी नवीकरणीय क्रय बाध्यता को पूरा करने में समर्थ बनाया जा सके और गैर-सौर प्रमाणपत्र आबद्ध अस्तित्वों को विक्रय किए जाएंगे, जिससे कि उन्हें सौर से भिन्न अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उनकी क्रय बाध्यता को पूरा करने में समर्थ बनाया जा सके ।

5. पात्रता और प्रमाण पत्रों का रजिस्ट्रीकरण :

(1) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के उत्पादन में लगी कोई उत्पादन कम्पनी, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है तो प्रमाण-पत्रों को जारी करने एवं उनमें व्यौहार करने के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करने की पात्र होगी :

क. उसने राज्य अभिकरण से प्रत्यायन प्राप्त कर लिया है;

ख. उसके पास ऐसे उत्पादन से संबंधित क्षमता के लिए, समुचित आयोग द्वारा अवधारित अधिमानी टैरिफ पर विद्युत बेचने का कोई विद्युत क्रय करार नहीं है; और

ग. वह उत्पादित विद्युत को या तो (i) पात्र अस्तित्व के अवस्थान के क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को, ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत क्रय की पूल्ड लागत से अनधिक कीमत पर बेचता है, या (ii) किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी को या खुली पहुंच उपभोक्ता को परस्पर सहमत कीमत पर या बाजार अवधारित कीमत पर विद्युत एक्सचेंज के माध्यम से बेचता है ।

स्पष्टीकरण.—इन विनियमों के प्रयोजन के लिए 'क्रय की पूल्ड लागत' से ऐसी भारित औसत पूल्ड कीमत अभिप्रेत है, जिस पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने विद्युत क्रय की है, जिसमें, यथास्थिति, दीर्घकालिक और अल्पकालिक सभी ऊर्जा प्रदायकर्ताओं से पूर्व वर्ष में स्वउत्पादन, यदि कोई है, की लागत सम्मिलित है किन्तु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित प्रदायकर्ता सम्मिलित नहीं हैं ।

(2) उत्पादन कम्पनी, इस विनियम के खण्ड (1) में यथा उपबंधित पात्रता मानदंडों को पूरा करने के पश्चात्, ऐसी रीति में केन्द्रीय अभिकरण को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगी, जो ब्यौरेवार प्रक्रिया में उपबंधित हो ।

(3) केन्द्रीय अभिकरण, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण मंजूर करेगा :

परन्तु यह कि किसी आवेदक को, उसका आवेदन नामंजूर करने से पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा और नामंजूर करने के कारणों को लिखित में लेखबद्ध किया जाएगा ।

(4) इस विनियम के खण्ड (3) के परन्तुक के अधीन केन्द्रीय अभिकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर आयोग को अपील कर सकेगा और आयोग ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो ऐसी अपील में उपयुक्त हो ।

6. रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण :

(1) यदि केन्द्रीय अभिकरण का, कोई जांच करने के पश्चात् या अनुपालन संपरीक्षकों की रिपोर्ट पर यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है तो वह निम्नलिखित में से किसी भी मामले में पात्र अस्तित्व के रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण कर सकेगा, अर्थात् :–

(क) जहां केन्द्रीय अभिकरण की राय में पात्र अस्तित्व इन विनियमों के द्वारा या उनके अधीन उससे अपेक्षित किसी कार्य को करने में स्वैच्छिक और प्रवर्द्धित व्यतिक्रम करता है;

(ख) जहां पात्र अस्तित्व को उसके प्रत्यायन या रजिस्ट्रीकरण के ऐसे निबंधनों और शर्तों द्वारा उसे प्रतिसंहरण का दायी बनाने वाले के रूप में अभिव्यक्त रूप से घोषित किया गया है;

(ग) जहां पात्र अस्तित्व इस निमित्त केन्द्रीय अभिकरण द्वारा अपेक्षित समय के भीतर—(i) केन्द्रीय अभिकरण के समाधानप्रद रूप में यह दर्शित करने में असफल रहता है कि वह अपने प्रत्यायन या रजिस्ट्रीकरण में उस पर अधिरोपित कर्तव्यों और बाध्यताओं का पूर्ण और दक्ष निर्वहन करने की स्थिति में है; या (ii) अपने प्रत्यायन या रजिस्ट्रीकरण द्वारा अपेक्षित निक्षेप करने या प्रतिभूति प्रस्तुत करने या फीस अथवा अन्य प्रभारों का संदाय करने में असफल रहता है ।

(2) केन्द्रीय अभिकरण इस विनियम के खण्ड (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण करने से पूर्व पात्र अस्तित्व को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा ।

(3) ऊपर उप-विनियम (2) और (3) के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, यदि आयोग वहां उचित समझता है जहां उप-विनियम (1) के खण्ड (क) से (ग) की कोई या सभी शर्तें विद्यमान हैं तो आयोग समय-समय पर केन्द्रीय अभिकरण को जांच और/या प्रतिसंहरण प्रक्रिया आरंभ करने का निदेश दे सकेगा ।

(4) इस विनियम के खण्ड (1) के परन्तुक के अधीन केन्द्रीय अभिकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर आयोग को अपील कर सकेगा और आयोग ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो ऐसी अपील में उपयुक्त हो ।

7. प्रमाण पत्रों का अंकित मूल्य और उन्हें जारी कराना :

(1) पात्र अस्तित्व, पात्र नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से तत्समान उत्पादन के पश्चात् तीन मास के भीतर केन्द्रीय अभिकरण को प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन करेगा :

परन्तु यह कि प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पाक्षिक रूप से किया जा सकेगा, अर्थात् मास के पहले दिन या मास के पन्द्रहवें दिन ।

(2) केन्द्रीय अभिकरण का सम्यक् रूप से यह समाधान होने के पश्चात् कि ब्यौरेवार प्रक्रिया में यथा अनुबंधित प्रमाण पत्र जारी करने की सभी शर्तें पात्र अस्तित्व द्वारा पूरी कर दी गई हैं, पात्र अस्तित्व को प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे ।

(3) केन्द्रीय अभिकरण, पात्र अस्तित्व द्वारा आवेदन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

(4) पात्र अस्तित्व को प्रमाण पत्र, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित और ग्रिड में समाविष्ट की गई विद्युत यूनिटों के आधार पर जारी किए जाएंगे और उन्हें सम्यक् रूप से यथास्थिति, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता या राज्य ग्रिड संहिता के अनुसार और उर्जा लेखाकरण के अनुसूचीकरण और प्रेषण के निरीक्षण के लिए अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण के निदेशों के अनुसार या विद्यमान अनुसूचीकरण और प्रेषण प्रणालियों के अन्तर्गत न आने वाले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों द्वारा ऊर्जा इनपुट के संबंध में वितरण अनुज्ञप्तिधारी की संबंधित राज्य विद्युत प्रेषण केन्द्र को लिखित संसूचना के आधार पर ऊर्जा लेखाकरण प्रणाली में लेखांकित किया जाएगा ।

(5) ऊर्जा समावेशन के प्रमाण की प्रक्रिया केन्द्रीय अभिकरण द्वारा जारी की जाने वाली ब्यौरेवार प्रक्रियाओं में यथा अनुबंधित रूप में होगी ।

(6) जारी किया गया प्रत्येक प्रमाण-पत्र, नवीकरण ऊर्जा श्रोतों से उत्पादित और ग्रिड में सम्मिलित की गई एक मेगावाट घंटा विद्युत का प्रतिनिधितत्व करेगा ।

8. प्रमाण-पत्रों में व्यौहार :

(1) जब तक कि आयोग आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा अनुमति प्रदान न करे, प्रमाण-पत्रों में व्यौहार केवल विद्युत एक्सचेंज के माध्यम से किया जाएगा और किसी अन्य रीति में नहीं ।

(2) केन्द्रीय अभिकरण द्वारा पात्र अस्तित्व को जारी प्रमाण-पत्रों को विद्युत एक्सचेंजों में से किसी भी ऐसे एक्सचेंज में व्यौहार के लिए रखा जाएगा, जिसे प्रमाण-पत्र धारक उचित समझे और ऐसे प्रमाण-पत्र ऐसे विद्युत एक्सचेंज के नियमों और उप-विधियों के अनुसार व्यौहार के लिए उपलब्ध होंगे :

परन्तु यह कि विद्युत एक्सचेंज, विद्युत एक्सचेंज में प्रमाण-पत्रों की कीमत का पता लगाने के तंत्र सहित नियमों और उप-विधियों के संबंध में आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेंगे ।

9. प्रमाण-पत्र की कीमत तय करना :

(1) प्रमाण-पत्र की कीमत वह होगी, जो विद्युत एक्सचेंज में तय की जाए :

परन्तु यह कि आयोग केन्द्रीय अभिकरण तथा विनियामक मंच के परामर्श से समय-समय पर सौर तथा गैर-सौर प्रमाण-पत्रों के लिए पृथक्त: निम्नतम मूल्य तथा प्रविरत मूल्य हेतु उपबंध कर सकेगा ।

(2) आयोग निम्नतम मूल्य तथा प्रविरत मूल्य का अवधारण करते समय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा :—

(क) देश के संपूर्ण राज्यों में सौर तथा गैर-सौर प्रवर्ग के अधीन आने वाली विभिन्न नवीकरणीय उर्जा प्रौद्योगिकियों के उत्पादन की लागत में फेरफार;

(ख) देश के संपूर्ण राज्यों में क्रय की कुल लागत में परिवर्तन;

(ग) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्रत्याशित विद्युत उत्पादन जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(i) अधिमानी टैरिफ के अधीन प्रत्याशित नवीकरणीय उर्जा क्षमता;

(ii) प्रमाण-पत्र तंत्र के अधीन प्रत्याशित नवीकरणीय उर्जा क्षमता;

(घ) विभिन्न राज्य आयोग द्वारा तय नवीकरणीय क्रय बाध्यता लक्ष्य ।

10. प्रमाण-पत्रों की विधिमान्यता तथा समाप्ति :

(1) एक बार जारी किया गया प्रमाणपत्र, जारी करने की तारीख से एक सौ पैंसठ दिन के लिए विधिमान्य होगा :

परन्तु यह कि किसी समय उत्पादित विद्युत के लिए पात्र इकाई को जारी प्रमाणपत्र जब ऐसी इकाई प्रत्यायन के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करती है, ऐसी इकाई के प्रत्यायन के बाद की तारीख से प्रत्याहत किए जाने पर भी, एक सौ पैंसठ दिन की उक्त अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।

(2) इस विनियम के खंड (1) में यथा उपबंधित समय-सीमा के अधीन रहते हुए प्रमाणपत्र को, विद्युत एक्सचेंज में क्रय तथा विक्रय के रूप में विनियम के पश्चात् समाप्त किया गया समझा जाएगा ।

11. फीस तथा प्रभार :

(1) आयोग समय-समय पर, आदेश द्वारा केन्द्रीय अभिकरण से इस संबंध में प्रस्तावों के आधार पर रजिस्ट्रीकरण, प्रमाणपत्रों की पात्रता, प्रमाण-पत्रों को जारी किया जाना तथा उससे संसक्त अन्य विषयों के लिए स्कीम में भाग लेने के लिए पात्र इकाईयों द्वारा संदेय फीस तथा प्रभारों का अवधारण कर सकेगा ।

(2) इन विनियमों के अधीन संदेय फीस तथा प्रभारों में एक समय रजिस्ट्रीकरण फीस तथा प्रभार, वार्षिक फीस तथा प्रभार, संव्यवहार फीस तथा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्रभार और इन विनियमों के अनुसार प्रमाण-पत्र से संबंधित ऐसे प्रभार सम्मिलित हैं जैसा आयोग उचित समझे ।

(3) पात्र इकाईयों द्वारा संदत्त फीस तथा प्रभारों का संग्रहण केन्द्रीय अभिकरण द्वारा किया जाएगा तथा इन का उपयोग इन विनियमों के अधीन कृत्यों का निष्पादन करने के लिए नियुक्त अनुपालन संपरीक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, परामर्शकों तथा प्रतिनिधियों को संदेय पारिश्रमिक के लिए लागत तथा खर्चों को पूरा करने के प्रयोजन के लिए किया जाएगा ।

12. राज्य अभिकरण के क्षमता निर्माण के लिए वित्तपोषण :

(1) आयोग, आदेश द्वारा राज्य अभिकरणों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के प्रयोजन के लिए या केन्द्रीय अभिकरण द्वारा जारी विस्तृत प्रक्रिया का कार्यान्वयन तथा मानीटरिंग करने के लिए अन्य सुसाध्य तंत्र के लिए प्रमाण-पत्रों की बिक्री से आगमों की कतिपय प्रतिशतता के लिए उपबंध कर सकेगा ।

(2) इस विनियम के खंड (1) के यथा उपबंधित आगमों को विद्युत एक्सचेंज द्वारा एकत्रित किया जाएगा तथा आयोग और ऐसे अभिकरण को स्थानांतरित किया जाएगा जैसा आयोग द्वारा निदेश दिया जाए ।

13. अनुपालन संपरीक्षकों की नियुक्ति :

(1) आयोग, केन्द्रीय अभिकरण के परामर्श से, समय-समय पर, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा इन

विनियमों के अनुपालन या प्रमाण-पत्रों की पात्रता के बारे में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों द्वारा अनुपालन तथा उससे संसक्त सभी विषयों की जांच करने तथा इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए अनुपालन संपरीक्षकों की नियुक्ति कर सकेगा ।

(2) अनुपालन संपरीक्षकों के पास इन विनियमों की अनुसूची में यथा अन्तर्विष्ट अर्हताएं तथा अनुभव होगा :

परन्तु यह कि आयोग आदेश द्वारा समय-समय पर अनुसूची में संशोधन कर सकेगा ।

(3) आयोग, समय-समय पर ऐसे संपरीक्षकों को संदेय पारिश्रमिक तथा प्रभारों को नियत कर सकेगा तथा ऐसी संदेय रकम की पूर्ति ऐसी निधियों से की जाएगी जिसे केन्द्रीय अभिकरण पात्र इकाइयों से एकत्रित कर सकेगा ।

14. निदेश देने की शक्ति :

आयोग, समय-समय पर, ऐसे निदेश तथा आदेश जारी कर सकेगा जो वह इन विनियमों के कार्यान्वयन तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए ऊर्जा के बाजार के विकास के लिए समुचित समझे ।

15. शिथिल करने की शक्ति :

आयोग, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए तथा प्रभावित होने वाले पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् स्वप्रेरणा से या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष किए गए आवेदन के आधार पर इन विनियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल का सकेगा ।

अनुसूची

संपरीक्षकों की अर्हता

संपरीक्षक व्यष्टिक व्यक्ति या फर्म हो सकेगा जिनके पास निम्नलिखित क्षेत्रों में अर्हता तथा अनुभव हो :

(क) वित्त या लेखा या वाणिज्य; और

(ख) विद्युत उत्पादन, पारेक्षण या वितरण में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अर्हताएं तथा अनुभव तथा जिसके पास विद्युत सेक्टर अंतर्वलित संस्थाओं जिसमें विनियामक आयोग, उपयोगिताओं, सरकारी संस्थाओं, राज्य अभिकरणों तथा अपनी भूमिका और उत्तरदायित्वों को पर्याप्त रूप से समझने का पर्याप्त अनुभव हो ।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/09/असा.]